

FORM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालतन्यायालय सहायक कलेक्टर..... मुकाम

सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ, बनाम गोकल पिता नन्दा वगैरह निवासी सोनगर


करम मुकदमानं०74..... सन् ..2019....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
12/07/2019	<p>पत्रावली लोक अदालत केम्प जयनगर में प्रस्तुत की गई। केम्प में उपस्थित पक्षकारों को सुना गया। तहसीलदार बेगूँ द्वारा प्रस्तुत डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत 88 एवं 136 आर.टी.एक्ट में प्रकरण प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम सेनगर में खाता संख्या 43 संवत् 2071 से 74 में दर्ज आराजी संख्या 33 किता 1 रकबा 0.373 हे० भूमि श्री गोकल पिता नन्दा कन्हैयालाल भंवरलाल लाभचंद्र वगैरह जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकॉर्ड होकर उक्त खाते में हिस्से दर्ज नहीं है। अतः वादी प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई। रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। सेटलमेन्ट रिकॉर्ड में वाद वर्णित आराजी संख्या 33 किता-1 रकबा 0.373 हैक्टर भूमि नन्दा पिता कालू नाथू मोत्या पिता गोपाल हिस्सा बराबर, देवा पिता लालू मोत्या बेवा हरिराम तुलसीराम सेवा पिता देवा धाकड सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। विरासत से नन्दा के बजाय गोकल पिता नन्दा नाथू के बजाय उदा पिता नाथू उदा के बजाय कन्हैयालाल भंवरलाल लाभचंद्र गोकली लीला धापू शांति सोसर संतोषी भंजू पिता उदा मोडीबाई पत्नी स्व. उदा मोती पिता गोपाल के बजाय भूरा पिता मोती देवा पिता लालू के बजाय नाराण कन्हैयालाल पिता देवा, बालीबाई पत्नी देवा तुलसीराम के बजाय मांगीलाल मोहनलाल शंकरलाल पिता तुलसीराम सेवा केक बजाय देवीलाल रामेश्वरलाल गेंदीबाई सुन्दरीबाई पिता सेवा के नाम दर्ज हुआ है।</p> <p>मजमें आम में खातेदारों के हिस्से की जानकारी की गई जिसमें यह जाहिर आया कि वाद वर्णित आराजी संख्या 33 रकबा 0.373 हैक्टर उनकी सामलाती आराजी है। जिसमें मोत्या बेवा हरिराम ने अपना 1/5 हिस्सा का विक्रय बदामबाई पत्नी लाभचंद्र धाकड को किया है। मजमें आम में प्राप्त जानकारी व पक्षकारों की सहमति से</p>	

मौजा सोनगर की आराजी कीता 1 रकबा 0.373 हैक्टर में हिस्से की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम सोनगर की आराजी नं. 33 किता- 1 रकबा 0.373 हैक्टर भूमि में श्री गोकल पिता नंदा का हिस्सा 1/5, कन्हैयॉलाल, भंवरलाल, लाभचंद्र, गोकली, लीला, धापू, शांति, सोसर, संतोषी, मंजु पिता उदा मोडीबाई बेवा उदा का हिस्सा 1/10, भूरा पिता मोती का हिस्सा 1/10 हि.ब., नारायण, कन्हैयॉलाल पिता देवा, बालीबाई बेवा देवा का हिस्सा 1/5, बदामबाई पत्नी लाभचंद्र का हिस्सा 1/5, मांगीलाल, मोहनलाल, शंकरलाल पिता तुलसीराम, देवीलाल, रामेश्वरलाल, गेंदीबाई, सुन्दरीबाई पिता सेवा का हिस्सा 1/5 जाति धाकड सा.देह रहन बदस्तूर का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो।


12/7/19

न्यायालय सहयोग बजटवर्क (समग्रण्ड अधिकारी) हेगू जिला चितौडगढ (राज०)
 दिनांक 74/2019

सचयन आयोग तहसीलदार, हेगू तहसील हेगू जिला चितौडगढ

घादी

अनाम

- 1 गजबल मिला उदय धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 2 बन्देयोलाल मिला उदय धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 3 मधुसूदन मिला उदय धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 4 लामचट मिला उदय धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 5 गजबल मिला उदय धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 6 नील मिला उदय धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 7 धामु मिला उदय धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 8 शक्ति मिला उदय धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 9 सोमल मिला उदय धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 10 सतारु मिला उदय धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 11 महु मिला उदय धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 12 मोहोबदई मिला उदय धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 13 मुर मिला उदय धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 14 नारायण मिला उदय धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 15 बन्देयोलाल मिला उदय धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 16 बालीबदई मिला उदय धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 17 इदामबदई मिला लामचट धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 18 मंगीलाल मिला तुलसीराम धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 19 मोहनलाल मिला तुलसीराम धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 20 शंकरलाल मिला तुलसीराम धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 21 दयैलाल मिला सोम धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 22 रामशंकरलाल मिला सोम धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 23 गेदीबदई मिला सोम धाबड निवासी सानगर तह० हेगू
- 24 सुन्दरीबदई मिला सोम धाबड निवासी सानगर तह० हेगू



प्रतिवादीनाम


समस्थित : तहसीलदार, हेगू
 पेशकार घादी
 प्रतिवादीनाम सं. 1 से 24

निर्णय दिनांक : 12.07.2019

निर्णय वाद अ०धा० 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की आर स तहसीलदार हेगू द्वारा सी.आई.एल.आर.एन.पी DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा वादत हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान आर.टी.एक्ट के अधीन / मरिपत्र / कमाक / बीआर / एल.आर. / एन.एल.आर.एन.पी. / एफ-126 / पार्ट-2 / 10/84-88 दिनांक 28.06.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 सह एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया जो वाद जोच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली का सीएम कार्टे जदमनार पर वास्ते सुनवाई हेतु सख्याया गया, दिनांक 12.07.2019 को सभी क्रायतदार समस्थित आते।

वाद पत्र में तहसीलदार हेगू द्वारा उनके पत्राक 1222 दिनांक 19.06.2019 से अवगत कराया कि ग्राम सोनगर में क्वार्टा सख्या 43 सयत 2011-74 में दर्ज आराजी नं. 33 कितो-1 रकबा 0.373 हैक्टर भूमि श्री गजबल मिला उदय धाबड निवासी सानगर तहसील सोमचट धमौ जनाबदी अनुस्तर दर्ज रिकोर्ड होकर उक्त खाते में हिस्से दर्ज नहीं है। आर घादी प्रार्थी द्वारा राजस्थान कायतकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 ए-राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशासा की गई।


 तहसीलदार
 (समग्रण्ड अधिकारी)
 हेगू (चितौडगढ)
 ---लगातार

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली को दिनांक 12.7.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर रखाया गया। सभी पक्षकारान उपस्थित आए। प्रतिवादीगण में से उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि ग्राम सोनगर में वाद वर्णित आराजी नं0 33 रकबा 0.373 हैक्टर उनकी सामलाती भूमि होना बताया है , नंदा, नाथू, मोती, देवा, तुलसीराम सेवा फोट होने से उनके वारिसान के नाम दर्ज हुए है। मोत्या बेवा हरिराम ने अपना स्वयं का हिस्सा का बेचान बदामबाई पत्नी लाभचंद्र को किया जो 1/5 है। कोर्ट कैम्प में सजरा बनाया जाकर सजरे में पक्षकारो के बताये मुताबिक खातेदारो के हिस्से दर्ज किये गए सजरे में हिस्से घोषित करवाने हेतु सभी प्रतिवादीगण सहमत हुए है।

रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। सेटलमेन्ट रिग्रकोर्ड में वाद वर्णित आराजी संख्या 33 किता-1 रकबा 0.373 हैक्टर भूमि नंदा पिता कालू नाथू मोत्या पिता गोपाल हिस्सा बराबर , देवा पिता लालू मोत्या बेवा हरिराम तुलसीराम सेवा पिता देवा धाकड सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। विरासत से नंदा के बजाय गोकल पिता नंदा नाथू के बजाय उदा पिता नाथू उदा के बजाय कन्हैयॉलाल भंवरलाल लाभचंद्र गोकली लीला धापू शांति सोसर संतोषी मंजू पिता उदा मोडीबाई पत्नी स्व. उदा मोती पिता गोपाल के बजाय भूरा पिता मोती देवा पिता लालू के बजाय नाराण कन्हैयॉलाल पिता देवा, बालीबाई पत्नी देवा तुलसीराम के बजाय मांगीलाल मोहनलाल शंकरलाल पिता तुलसीराम सेवा केके बजाय देवीलाल रामेश्वरलाल गेंदीबाई सुन्दरीबाई पिता सेवा के नाम दर्ज हुआ है। मजमें आम में खातेदारो के हिस्से की जानकारी की गई जिसमें यह जाहिर आया कि वाद वर्णित आराजी संख्या 33 रकबा 0.373 हैक्टर उनकी सामलाती आराजी है। जिसमें मोत्या बेवा हरिराम ने अपना 1/5 हिस्सा का विक्रय बदामबाई पत्नी लाभचंद्र धाकड को किया है। मजमें आम में प्राप्त जानकारी व पक्षकारो की सहमति से मौजा सोनगर की आराजी कीता 1 रकबा 0.373 हैक्टर में हिस्से की घोषणा किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम सोनगर की आराजी नं. 33 किता- 1 रकबा 0.373 हैक्टर भूमि में श्री गोकल पिता नंदा का हिस्सा 1/5, कन्हैयॉलाल, भंवरलाल, लाभचंद्र, गोकली, लीला, धापू, शांति, सोसर, संतोषी, मंजु पिता उदा मोडीबाई बेवा उदा का हिस्सा 1/10, भूरा पिता मोती का हिस्सा 1/10 हि.ब., नारायण, कन्हैयॉलाल पिता देवा, बालीबाई बेवा देवा का हिस्सा 1/5, बदामबाई पत्नी लाभचंद्र का हिस्सा 1/5, मांगीलाल, मोहनलाल, शंकरलाल पिता तुलसीराम, देवीलाल, रामेश्वरलाल, गेंदीबाई, सुन्दरीबाई पिता सेवा का हिस्सा 1/5 जाति धाकड सा.देह रहन बदस्तूर का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवा पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
बेगू जिला जिला इलाहाबाद

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चितौडगढ़ (राज0)
दावा संख्या : 74/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगू तहसील बेगू जिला चितौडगढ़

.....वादी

बनाम

1. गोकल पिता नंदा धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
2. कन्हैयालाल पिता उदा धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
3. भंवरलाल पिता उदा धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
4. लाभचंद पिता उदा धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
5. गोकली पिता उदा धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
6. लीला पिता उदा धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
7. धापू पिता उदा धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
8. शांति पिता उदा धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
9. सोसर पिता उदा धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
10. संतोषी पिता उदा धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
11. मंजु पिता उदा धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
12. मोडीबाई पत्नी उदा धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
13. भूरा पिता मोती धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
14. नाराण पिता देवा धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
15. कन्हैयालाल पिता देवा धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
16. बालीबाई पत्नी देवा धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
17. बदामबाई पत्नी लाभचंद धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
18. मांगीलाल पिता तुलसीराम धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
19. मोहनलाल पिता तुलसीराम धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
20. शंकरलाल पिता तुलसीराम धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
21. देवीलाल पिता सेवा धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
22. रामेश्वरलाल पिता सेवा धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
23. गेंदीबाई पिता सेवा धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू
24. सुन्दरीबाई पिता रूपा धाकड निवासी सोनगर तह0 बेगू



.....प्रतिवादीगण


वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 12.07.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू के समक्ष कोर्ट कैम्प जयनगर पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सह धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम सोनगर की आराजी नं. 33 किता- 1 रकबा 0.373 हैक्टर भूमि में श्री गोकल पिता नंदा का हिस्सा 1/5, कन्हैयालाल, भंवरलाल, लाभचंद, गोकली, लीला, धापू, शांति, सोसर, संतोषी, मंजु पिता उदा मोडीबाई बेवा उदा का हिस्सा 1/10, भूरा पिता मोती का हिस्सा 1/10 हि.ब., नारायण, कन्हैयालाल पिता देवा, बालीबाई बेवा देवा का हिस्सा 1/5, बदामबाई पत्नी लाभचंद का हिस्सा 1/5, मांगीलाल, मोहनलाल, शंकरलाल पिता तुलसीराम, देवीलाल, रामेश्वरलाल, गेंदीबाई, सुन्दरीबाई पिता सेवा का हिस्सा 1/5 जाति धाकड सा.देह रहन बदस्तूर का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौड़गढ़)

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

 12-7-19
(रमेश सीटवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्डी अधिकारी)
बेगू जिलाधिकारी डोगढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगू को पालनार्थ प्रस्तुत है।